

17.08.2021

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 336, 346, 347, 348, 349,वाके ग्राम रेला तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से में काश्त करने में व्यवधान पैदा नही करें, रहन वेचान नही करें। रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 18.11.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तर्क स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हों पत्रावली दिनांक 18.11.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिष्ठाकारी
कटूमर (अलवर)
कटूमर (अलवर)

18.11.21

कुलाव करीबन ५५०/२.०
साहय ...
सापक्षी दिनांक 2/11/21
ने पेश हो।

2/11/21

पत्रावली नुसार कोइ काश्त पेश हुई वकील
कोइ उज्र करीब २५०० रु काश्त जारी को २५-२
काश्त दिनांक १६ कोइ ३५०० रु काश्त उवा
उपरोक्त पत्र वकील को के उज्र पेशी - अदालत में
में खोजी १ दिनांक १८/११/२१ कोइ उज्र
उपरोक्त कोइ अधिष्ठाकारी
कटूमर (अलवर)
कटूमर (अलवर)

प्रशासन गावों के संग
अभियान-2021